**निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 31 वर्ष 2020-21**

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता, विद्धुत एवं यांत्रिक खंड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

**अधिशासी अभियन्ता, विद्धुत एवं यांत्रिक खंड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून** के माह 02/2018 से 09/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर॰एन॰ यादव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री पी॰के॰ श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री हरिओम, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 11/07/2020 से 24/07/2020 तक श्री जे॰एम॰एस॰ रावत/वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

**भाग-I**

**1.परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री मनोज नेगी, स॰ले॰प॰अ॰ एवं श्री भारत सिंह, स॰ले॰प॰अ॰ द्वारा दिनांक 20.02.2018 से 24.02.2018 तक निष्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2016 से 01/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** विभाग के द्वारा देहरादून, उत्तरकाशी एवं टिहरी के आंशिक क्षेत्र में अनुरक्षण का कार्य एवं विद्धुत और यांत्रिक के कार्य किए जाते हैं।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों मे बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं-

(रु लाख में)

| वर्ष | लेखा शीर्ष | प्रारम्भिक अवशेष | | स्थापना | | गैर स्थापना | | आधिक्य (+) | बचत (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्थापना | गैर स्थापना | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय | | |
| 2018-19 | 2059 | शून्य | शून्य | 365..66 | 365.66 | 78.00 | 77.93 | -- | -- |
| 2019-20 | 2059 | शून्य | शून्य | 401.93 | 401.93 | 28.85 | 28.80 | -- | -- |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 (up to 09/2020) | 2059, 5054 | शून्य | शून्य | 207.49 | 207.49 | 238.12 | 237.95 | -- | -- |

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं-

(रु लाख में)

| वर्ष | योजना का नाम | प्रारम्भिक अवशेष | प्राप्त | व्यय | आधिक्य | बचत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | शून्य | | | | | |
| 2019-20 | | | | | | |
| 2020-21 (up to 06/2020) | | | | | | |

**2.** इकाई को बजट आवंटन उत्तराखंड शासन के **द्वारा** किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **'ब'** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग

अधिक्षण अभियंता, (वृत्त स्तर)

अधिशासी अभियंता, लो°नि°वि° (खंडीय स्तर)

**3. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, विद्धुत एवं यांत्रिक खंड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, विद्धुत एवं यांत्रिक खंड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। लेखा परीक्षा द्वारा व्यय विवरण एवं प्राप्ति के आधार पर सर्वाधिक व्यय वाले माह **02/2019 एवं 02/2020 को विस्तृत जांच हेतु** चयनित किया गया।

**4.** लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन-2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

**5.** अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में **दिनांक 05.02.2020 से 07.02.2020** तक निरीक्षण किया गया।

**6.** खण्ड के यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह **09/2019** तक की गई।

7. फार्म 51: माह **04/2019** तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम - ₹ 1661980.00

भाग द्वितीय - ₹ 80853.00

8. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह **09/2020** के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम - - Nil
(ख) सामग्री क्रय - Nil
(ग) नगद परिशोधन - Nil
(घ) निक्षेप- ₹ 761498.00
(ङ) भण्डार- - Nil

**भाग-2 (ब)**

**प्रस्तर-1 : निक्षेप मद मे रु 9.14 लाख की धनराशि  का 02 वर्षो से भी अधिक समय से अप्रयुक्त रहना एवं रु 1.13 लाख की धनराशि की वसूली का लंबित रहना ।**

***As per Financial Handbook Rule Vol-VI:***

375- (a) It is a fundamental rule that no work shall be commenced unless a properly detailed design and estimate have been sanctioned, allotment of funds made, and orders for its commencement issued by competent authority.

अधिशासी अभियंता, विद्युत एवं यांत्रिक खंड, लो0 नि0 वि0, देहरादून के अभिलेखो की लेखापरीक्षा (अक्टूबर 2020) मे पाया गया कि  खंड के निक्षेप पंजिका 2018-20 के भाग - III के अवलोकन मे पाया गया कि खंड को तालिका-1 (संलग्न) के अनुसार विभिन्न 07 विभागो से प्राप्त कुल धनराशि रु 9.14 लाख विगत 02 वर्षो से भी अधिक समय से लंबित पड़ी थी जिसका कोई उपयोग नहीं किया जा रहा था और न ही इसे संबन्धित विभाग को वापस किया गया। इसके अतिरिक्त तालिका-02 मे उल्लेखित 03 विभागो के सापेक्ष रु 1.13 लाख की धनराशि ऋणात्मक थी जिसकी वसूली वर्तमान तक भी लंबित थी जबकि वित्तीय नियमावली के अनुसार धन उपलब्ध रहने पर ही कार्य कराया जाना चाहिए।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर मे बताया गया कि तालिका-1 मे उल्लेखित कुछ कार्य पूर्ण है जिनका भुगतान किया जाना शेष है जबकि कुछ कार्य अनुरक्षण के करवाए जाने है जबकि लंबित धनराशि वसूली के संबंध मे बताया गया कि उक्त की वसूली की कार्यवाही अतिशीघ्र पूर्ण कर ली जाएगी ।

खंड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 02 वर्ष से भी अधिक समय से उक्त धनराशिओ के उपयोग/ वसूली हेतु कोई कार्यवाही किए जाने से संबन्धित कोई भी साक्ष्य खंड द्वारा प्रस्तुत नहीं किए जा सके ।

अतः खंड के अंतर्गत निक्षेप मद मे रु 9.14 लाख की धनराशि  का 02 वर्षो से भी अधिक समय से अप्रयुक्त रहना एवं रु 1.13 लाख की धनराशि की वसूली के लंबित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।  ।

**भाग दो (ब)**

**प्रस्तर:2 - हायर चार्जेज के रूप में ₹ 32.67 लाख की वसूली का लंबित रहना।**

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक खण्ड, देहरादून के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया (अक्टूबर 2020) कि खण्ड द्वारा विभिन्न खण्डों जैसे निर्माण खण्ड देहरादून, बड़कोट, पुरोला, अस्थाई खण्ड थत्यूड, सहिया, चकराता, प्रान्तीय खण्ड देहरादून एवं रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून इत्यादि को सिविल कार्य हेतु यन्त्र/संयंत्र एवं मशीने जैसे बैक होय लोडर, ऐक्सकवेटर, व्हील लोडर, मिलिंग मशीन, चैन डोजर एवं व्हील डोजर आदि उपयोग के लिए दिये गए थे जिसके सापेक्ष लेखापरीक्षा तिथि तक कुल रु 100.00 लाख की वसूली हायर चार्जेज़ के रूप मे की जानी थी, जिसके सापेक्ष मात्र रु 67.33 लाख की ही वसूली की जा सकी थी जबकि रु 32.67 लाख वसूली वर्तमान तक भी लंबित थी ।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा तथ्य को स्वीकार करते हुये उत्तर मे बताया गया कि समय-समय पर खंडो को वसूली हेतु बिल भेजे जाते है एवं वसूली प्रक्रिया में है।

अतः खंड के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि विभिन्न विभागो/खंडो से हायर चार्जेज के रूप मे रु 32.67 लाख की धनराशि वसूली हेतु लम्बित थी जिसके कारण मशीन एवं यन्त्र संयंत्र की मरम्मत एवं उक्त के सापेक्ष देयकों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। प्रकरण उच्चाधिकारियो के संज्ञान मे लाया जाता है ।

**भाग-2 (ब)**

**प्रस्तर-03 : वित्तीय नियमो के विपरीत कोटेशन के आधार पर संचालको (Operators) को हायर किया जाना ।**

अधिशासी अभियंता, विद्युत एवं यांत्रिक खंड , लो0 नि0 वि0,देहारादून के अभिलेखो की नमूना जांच (अक्टूबर 2020) मे पाया गया कि खंड के द्वारा आकस्मिक सेवा न होने के बावजूद न केवल अनुरक्षण मद मे विभिन्न विभागो/संस्थानो मे लिफ्ट/जनरेटर/कंप्यूटर संचालको को मासिक आधार पर हायर कर (संलग्नकनुसार) एक बार सप्लाइ ओर्डर के सापेक्ष कोटेशन एक माह हेतु आमंत्रित कर फिर आगामी माह हेतु उसी सप्लाइ ऑर्डर को संदर्भित करते हुये संचालको (0perators) की नियुक्ति की जा रही थी अपितु उक्त हेतु भुगतान बिलो पर 18 प्रतिशत की दर से GST का भुगतान किया जा रहा था ।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर मे यह तथ्य कि operators की नियुक्ति एक सतत प्रक्रिया है,स्वीकार्य करते हुये बताया गया कि इनकी नियुक्ति कोटेशन के माध्यम से की जाती है एवं अनुरक्षण मद मे भुगतान होने के कारण अनुबंध का गठन किया जाना संभव नहीं था।

अतः खंड के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि खंड द्वारा वित्तीय नियमो का पालन किया जाना संभव नहीं था, का प्रकरण उच्चाधिकारिओ के संज्ञान मे लाया जाता है।

## भाग– III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

| क्रम संख्या | निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | | |
|---|---|---|---|
| | | भाग –II (अ) | भाग –II (ब) |
| 1 | 04/ 2016-17 | -- | 1, 2 |
| 2 | 87/ 2017-18 | -- | 2 |

## विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तर संख्या | | अनुपालन आख्या | लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| | भाग –II(अ) | भाग –II (ब) | | | |
| 87/2017-18 | -- | 1,2 | अनुपालन आख्या महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित की गई है। | **शून्य** | **शून्य** |

## भाग– IV

## इकाई के सर्वोत्तम कार्य

––– शून्य –––

**भाग-V**

**आभार**

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, विद्धुत एवं यांत्रिक खंड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये ।

**2. सतत् अनियमितताएः** शून्य

**3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया ।**

| नाम | पदनाम | अवधि |
|---|---|---|
| श्री राम आसरे | अधिशासी अभियंता | 24/07/2017 से 31/03/2020 |
| श्री निशांत नेगी | का॰ अधि॰ अभियंता | 31/03/2020 से 18/06/2020 |
| श्री पंकज बर्तवाल | का॰ अधि॰ अभियंता | 18/06/2020 से 16/10/2020 |
| श्री ललित मोहन बघेल | प्र॰ अधि॰ अभियंता | 16/10/2020 से वर्तमान तक |

**4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खंड से सम्बद्ध रहे।**

| नाम | अवधि |
|---|---|
| **श्री सिद्धार्थ मोहन डोभाल** | **09/2018 से 25/09/2019 तक** |
| **श्री एफ॰ सी॰ शर्मा** | **20/09/2019 से 30/09/2020** |
| **श्री अशोक कुमार पग्गल** | **01/10/2020 से वर्तमान तक** |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियन्ता, विद्धुत एवं यांत्रिक खंड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/(AMG-II) को प्रेषित कर दी जाये।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी**

**AMG-II (Non-PSUs)**